संख्या-96/2020/3327/71-1-2020-जी-123/2018

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 22 अगस्त, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेडिकल कालेज, गोरखपुर से सम्बद्ध चिकित्सालय के माड्युलर ओ0टी0 में ए0एच0यू0 हेतु राउण्ड दी क्लाक आकस्मिक विद्युत आपूर्ति हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-95/2020/2764/71-1-2020-जी-123/2018, दिनॉक 20-08-2020 के पृष्ठांकन में त्रुटिवश कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के स्थान पर सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम का उल्लेख हो गया है। अत: "सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम" के स्थान पर " उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम" पढ़ा जाए।

2- उपर्युकत शासनादेश संख्या-95/2020/2764/71-1-2020-जी-123/2018, दिनॉक 20-08-2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:- 96/2020/3327(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in